

# राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर

क्रमांक : वित्त प्रकोष्ठ/2014-15/167

दिनांक : 14.7.14

## —:: कार्यालय आदेश ::—

संचालक मण्डल की 222 वी बैठक, दिनांक 17.06.2014 के बिन्दु संख्या-4 पर लिये गये निर्णय अनुसार राजस्थान आवासन मण्डल में कार्यरत कर्मचारियों द्वारा अनाधिकृत चिकित्सालयों में ईलाज कराये जाने पर वित्त सचिव (बजट) राजस्थान सरकार जयपुर द्वारा जारी आदेश क्रमांक F.6(1)FD/Rules 2013 दिनांक 16.09.2013 के नियम संख्या 11 के अनुसार चिकित्सा व्यय का पुनर्भरण किया जायेगा।

उक्त आदेश दिनांक 17.06.2014 से प्रभावी होगा।

वित्तीय सलाहकार

## प्रतिलिपि :- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. प्रमुख निजी सचिव-अध्यक्ष, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
2. निजी सचिव-आवासन आयुक्त/मुख्य अभियन्ता, राजस्थान आवासन मण्डल जयपुर।
3. वरिष्ठ निजी सहायक-सचिव/वि.स.एवं मुख्य लेखाधिकारी, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
4. निजी सचिव मुख्य अभियन्ता मुख्यालय/प्रथम/द्वितीय, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
5. निजी सहायक-अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता-प्रथम/द्वितीय/तृतीय, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर/जोधपुर।
6. उप आवासन आयुक्त, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
7. उप-वित्तीय सलाहकार, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
8. निजी सहायक-मुख्य सम्पदा प्रबन्धक, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
9. वरिष्ठ कार्मिक प्रबन्धक/वरिष्ठ लेखाधिकारी-I/II/III/IV & V, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
10. संयुक्त निदेशक, (एस.ए), कम्प्यूटर प्रकोष्ठ, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि परिपत्र मण्डल की वेबसाईड पर डलवाने व सभी को मेल करे।
11. आवासीय अभियन्ता, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
12. महाप्रबन्धक, आवास विकास लिमिटेड, जयपुर।
13. लेखाधिकारी (वसूली), राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
14. कार्यालय प्रति।

  
वित्तीय सलाहकार